कार्यालय कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रं.-01
छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

:: वाहन विक्रय की प्रथम निविदा सूचना ::

क्र/ 410 /लेखा./पी.आई.यू.क्र.1/छगग्रासविअ/2020 रायगढ़,दिनांक 27/02/2020

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि इस विभाग के निष्प्रयोजित वाहन क्र. C.G.-02/1188 जहाँ है, जैसा है के विक्रय हेतु इच्छुक व्यक्तियों/फर्मों से मुहरबंद प्रथम बार निविदा दिनांक 27.02.2020 से आमंत्रित की गई है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 07.03.2020 अपरान्ह 3:00 बजे तक है। उक्त निविदा दिनांक 07.03.2020 को अपरान्ह 3:30 बजे निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी।

नीलामी की शर्ते :-

1. शासकीय वाहन महिन्द्रा मार्शल मॉडल 2000, जिसकी निर्धारित अपसेट मूल्य 42000.00 रू. है।
2. निविदा फार्म इस कार्यालय में रू. 100/- का शुल्क देकर दिनांक 07.03.2020 अपरान्ह 2:30 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं।
3. निविदा हेतु अन्य शर्तें इस कार्यालय कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्र.-01, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, रायगढ़ (छ.ग.) में कार्यालयीन अवधि में देखे जा सकते है।
4. उक्त वाहन इस कार्यालय कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्र.-01, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, जिला पंचायत परिसर, जिला पंचायत कार्यालय के पीछे, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़ (छ.ग.) में खड़ी है, इच्छुक व्यक्ति आकर देख सकते हैं।
5. मुहरबंद निविदा इस कार्यालय में दिनांक 07.03.2020 तक अपरान्ह 3:00 बजे तक जमा की जा सकती है।
6. निविदाकर्ता को निविदा के साथ धरोहर राशि रू. 2000/- (अक्षरी :- राशि रू. दो हजार) का सावधी जमा रसीद (टी.डी.आर.) कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्र.-01, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, रायगढ़ (छ.ग.) के हित में तैयार कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. जिस निविदाकर्ता द्वारा वाहन की कीमत सबसे अधिक आंकी जावेगी, उसे वाहन उठाने के पूर्व कम से कम पूरी कीमत की आधी राशि तत्काल जमा करनी होगी।
8. निविदा स्वीकार होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर निविदाकर्ता को वाहन उठाना अनिवार्य होगा, अन्यथा पूर्व में जमा की गई अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
9. वाहन की (अपसेट प्राईज) कीमत प्राप्त नहीं होने पर उक्त नीलामी को निरस्त करते हुए पुनः निविदा बुलाई जावेगी।
10. निविदा में दी गई शर्तों का पालन करने के लिए सभी निविदाकर्ता बाध्य होंगे तथा इस संबंध में अंतिम निर्णय अधीक्षण अभियंता, छगग्रासविअ, परि.मं., रायगढ़ (छ.ग.) का मान्य होगा, कोई भी विवाद न्यायालयीन परिधि में नहीं लाया जा सकेगा।
11. निविदा में दी गई शर्तों के उल्लघंन पाए जाने पर जमा की गई अमानत राशि राजसात की जा सकेगी, अन्य परिस्थितियों में अमानत राशि नीलामी की कार्यवाही पूरी होने के बाद ही वापस की जा सकेगी।

(व्ही.के. मिंज)
कार्यपालन अभियंता
परियोजना क्रियान्वयन इकाई.क्र.-01
छ.ग.ग्रा.स.वि.अभिकरण, रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned by CamScanner